



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032021-225625
CG-DL-E-04032021-225625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]
No. 86]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

वास्तुकला परिषद्
(भारत सरकार का सांविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2021

वार्षिक रिपोर्ट 2019–2020

फा.सं. सीए/55बी/iii/2021/वा.रि.— वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित वास्तुकला परिषद् को 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अधीन कार्यशील है तथा देश में वास्तुकला शिक्षा और व्यवसाय के लिए नियामक संस्था है।

संगठनात्मक संरचना:

वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष संगठन के प्रमुख होते हैं जिसके समग्र प्रभार के अधीन परिषद् काम करती है। वर्तमान में परिषद् के अध्यक्ष वा. हबीब खान हैं। वास्तुकला परिषद् के कुलसंचयित्र परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं।

सांविधिक तथा अन्य समितियाँ :

अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, केन्द्र सरकार ने नियमों को बनाया तथा परिषद के कर्तव्यों और कार्यों के संचालन के लिए विनियम बनाए तथा विभिन्न समितियाँ गठित की हैं। कार्यकारिणी समिति परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है। अनुशासन समिति, शिकायतों की जांच-पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के आरोपों के संबंध में जांच करती है। सलाहकार समिति (अपील) उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इनके अलावा, विशेष / खास प्रयोजनों के लिए समय-समय पर कई अन्य समितियाँ गठित की जाती हैं।

इससे अतिरिक्त, परिषद् ने वास्तुकला में स्नातक की डिग्री और वास्तुकला में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के लिए नए संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / आवेदनों की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की है।

दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक परिषद् द्वारा विभिन्न गतिविधियों और कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है :

1. बैठकें:

परिषद् की बैठकें : रिपोर्टरीन वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठक हुई। नई दिल्ली में 27 जून 2019 को 71वीं बैठक तथा 24 एवं 25 जनवरी 2020 को 72वीं बैठक आयोजित हुई।

कार्यकारिणी समिति की बैठकें: रिपोर्टरीन वर्ष के दौरान, कार्यकारिणी समिति की 10 बैठकें निम्नानुसार आयोजित हुई :

1. नई दिल्ली में 5 अप्रैल 2019 को 201वीं बैठक,
2. नई दिल्ली में 27 अप्रैल 2019 को 202वीं बैठक,
3. नई दिल्ली में 25 एवं 26 मई 2019 को 203वीं बैठक,
4. नई दिल्ली में 16 जून 2019 को 204वीं बैठक,
5. नई दिल्ली में 8 जुलाई 2019 को 205वीं बैठक,
6. नई दिल्ली में 26 जुलाई 2019 को 206वीं बैठक,
7. नई दिल्ली में 12 एवं 13 नवम्बर 2019 को 207वीं बैठक,
8. नई दिल्ली में 13 दिसम्बर 2019 को 208वीं बैठक,
9. चैन्नई में 11 एवं 12 जनवरी 2020 को 209वीं बैठक और
10. बैंगलोर में 21 एवं 22 फरवरी 2020 को 210वीं बैठक

2. परिषद् में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्यों के कार्यालय के लिए चुनाव :

केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी ने 22 अक्टूबर, 2019 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के पांच सदस्यों के कार्यालय के लिए चुनाव आयोजित किए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के पांच सदस्यों के लिए चुने गए सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :

1. वा. हबीब खान, अध्यक्ष,
2. वा. सपना, उपाध्यक्ष,
3. वा. एन. के. नेगी, सदस्य, कार्यकारी समिति,
4. वा. कपिल सेतिया, सदस्य, कार्यकारी समिति,
5. वा. आर. रमेश कुमार, सदस्य, कार्यकारी समिति,
6. वा. बंसन सिंह थंगखी, सदस्य, कार्यकारी समिति, तथा
7. वा. सादिक अली, सदस्य, कार्यकारी समिति।

3. वास्तुकला संस्थानों के प्रमुखों में से निर्वाचित परिषद् के सदस्यों का चुनाव :

केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी ने वास्तुकला संस्थानों के प्रमुखों में से परिषद् के पांच सदस्यों के लिए चुनाव का आयोजन किया और दिनांक 20.08.2019 से परिषद् के सदस्यों के रूप में चुने गए निम्नलिखित वास्तुविदों की घोषणा की गई :

1. वा. अमोघ कुमार गुप्ता,
2. वा. अभय वी. पुरोहित,
3. वा. अमित कुमार गर्ग,
4. वा. जयलक्ष्मी वी. तथा
5. वा. सतीश कुमार।

4. वास्तुविदों का पंजीकरण :

परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में ऐसे व्यक्ति का नाम पंजीकृत करती है, जो भारत में रहता हो या वास्तुकला का व्यवसाय करता हो और जो मान्यताप्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता रखता है। पंजीकरण करने हेतु आवेदन तथा शुल्क ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान परिषद् ने वास्तुविदों के रूप में 14250 व्यक्तियों का पंजीकरण किया। इस प्रकार 31 मार्च, 2020 तक वास्तुकला परिषद् में वास्तुविदों के रूप में कुल 120944 वास्तुविदों का पंजीकरण किया गया है। 31 मार्च, 2020 तक 99825 वास्तुविदों के पास वास्तुकला परिषद् में वास्तुविद् के रूप में वैध पंजीकरण हैं तथा दिनांक 31.03.2020 तक राज्यवार पंजीकृत वास्तुविदों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	पंजीकृत वास्तुविद
1.	अण्डमान और निकोबार	36
2.	आंध्र प्रदेश	1447
3.	अरुणाचल प्रदेश	61
4.	असम	698
5.	बिहार	729
6.	चंडीगढ़	780
7.	छत्तीसगढ़	880
8.	दादर और नागर हवेली	24
9.	दमन और दीव	30
10.	दिल्ली	9377
11.	गोवा	762
12.	गुजरात	6067
13.	हरियाणा	3943
14.	हिमाचल प्रदेश	508
15.	जम्मू और कश्मीर	334
16.	झारखण्ड	518
17.	कर्नाटक	7338
18.	केरल	5207
19.	लद्दाख	4
20.	लक्ष्यद्वीप	4
21.	मध्य प्रदेश	2718
22.	महाराष्ट्र	27986
23.	मणिपुर	110
24.	मेघालय	128
25.	मिजोरम	84
26.	नागालैंड	56
27.	ओडिशा	967
28.	पांडिचेरी	206
29.	पंजाब	1957
30.	राजस्थान	2179
31.	सिक्किम	75
32.	तमिलनाडु	10619
33.	त्रैलंगाना	3705
34.	त्रिपुरा	42
35.	उत्तरांचल	816
36.	उत्तर प्रदेश	7131

37.	पश्चिम बंगाल	2297
38.	56 एपीओ द्वारा	1
39.	99 एपीओ द्वारा	1
	कुल	99825

5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति 2020 का मसौदा तैयार किया और उस पर विचार/सुझाव मांगे हैं। परिषद् ने 14 नवंबर, 2019 को माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के समक्ष अपने विचार/सुझाव भी प्रस्तुत किए, जिसमें यह भी अनुरोध किया गया कि वास्तुकला शिक्षा को भारत के प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग के दायरे से बाहर रखा जाए।

6. वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार की शिकायतें :

रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान, परिषद् को वास्तुविदों के विरुद्ध 20 शिकायतें प्राप्त हुईं। प्रत्येक वास्तुविद् से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वास्तुविद् (वृत्तिक आचरण) विनियमावली, 1989 के उपबंधों का पूर्णतः पालन करेगा। वास्तुविद् अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वास्तुविद् को जांच-पड़ताल और सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

7. अनुशासन समिति :

वास्तुविद् परिषद् नियम, 1973 के संदर्भ में, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा अनुशासन समिति का गठन वास्तुविदों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए किया जाता है।

रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान समिति ने 25 अप्रैल, 2019, 22 एवं 23 मई, 2019, 20 जून, 2019, 2 सितम्बर, 2019 एवं 12 दिसम्बर, 2019 को 6 बार बैठक आयोजित की तथा वास्तुविदों के खिलाफ 17 शिकायत मामलों की जांच हुई।

8. विदेशी अहताओं की मान्यता संबंधी समिति:

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 15 के अनुसार, केन्द्र सरकार वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के लिए वास्तुविद् परिषद् से परामर्श करने के बाद विदेशी वास्तुकला योग्यताओं को मान्यता देने के लिए सशक्त है।

परिषद् ने केन्द्र सरकार से प्राप्त संदर्भ पर विचार करने और अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए समिति का गठन किया। रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान समिति ने 6 जून, 2019, 5 नवम्बर, 2019, 13 जनवरी, 2020 एवं 24 जनवरी, 2020 को चार बार बैठक आयोजित की तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त मामलों पर विचार किया और रिपोर्ट परिषद् को सौंप दी।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना की आपूर्ति :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अधीन श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में, श्री दीपक कुमार सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में तथा श्री राज कुमार ओबेरॉय, कुलसचिव को अपीलीय प्रधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान, परिषद् द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 150 आर.टी.आई. आवेदन की जानकारी प्रदान की तथा 11 प्रथम अपील का निपटान किया गया।

10. वास्तुकला परिषद् के वास्तुकला शिक्षा न्यूनतम मानक विनियम, 2017 का अनुमोदन:

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुसार, परिषद् को वास्तुकला संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करने के लिए वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने की शक्ति निहित है। परिषद् ने पहले वर्ष 1983 में केन्द्र सरकार की मंजूरी से वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियम तैयार किया था।

परिषद् ने सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद (वास्तुकला शिक्षा न्यूनतम मानक) विनियम, 2017 को बनाकर वर्ष 1983 के मौजूदा विनियमों को निरस्त किया। मंत्रालय की सलाह अनुसार विनियमों के मसौदे को संशोधित किया गया और वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 के रूप में फिर से प्रस्तुत किया गया। इन्हें बहुत जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है।

11. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वास्तुकला संस्थानों में एंटी रैगिंग पर विनियम :

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2009 की सिविल अपील संख्या 887, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला वर्सस परिषद् के, प्रिंसिपलस, कॉलेजेस, केरला एण्ड अर्दस द्वारा दिनांक 08 मई, 2009 के आदेशानुसार एंटी-रैगिंग विनियम सहित एंटी-रैगिंग उपाय बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यूजीसी द्वारा तैयार की गई रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विनियमों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। यह अन्य सभी नियामक निकायों जैसे एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई आदि द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्देशों के मददेनजर, परिषद् ने अपनी 71वीं बैठक में सर्वसम्मति से, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन रेग्युलेशंस ऑन कर्बिंग ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशन इस्टीट्यूशंस, 2009, समय-समय पर इसके संशोधनों के साथ, देश में वास्तुकला संस्थानों के लिए इनको अपनाया।

12. शैक्षिक—सत्र 2019–2020 में नई संस्थाओं का अनुमोदन :

रिपोर्टरीयन वर्ष के दौरान बैचलर ऑफ आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 15 नए संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वर्तमान 17 संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्तमान में, वर्ष 2019–2020 में परिषद् के अनुमोदन से वास्तुकला में मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों की कुल संख्या बढ़कर 465 हो गई। राज्यवार संस्थानों की संख्या की सूची निम्नानुसार है :

राज्य	विद्यालयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	9
असम	2
बिहार	1
छत्तीसगढ़	6
चंडीगढ़	1
दिल्ली	6
गोवा	1
गुजरात	34
हिमाचल प्रदेश	3
हरियाणा	25
झारखण्ड	2
जम्मू और कश्मीर	3
कर्नाटक	41
केरल	35
महाराष्ट्र	103
मेघालय	1
मध्य प्रदेश	14
मिज़ोरम	1
ओडिशा	9
पंजाब	14
पांडियरी	1
राजस्थान	15
तमिलनाडु	76
तेलंगाना	14
उत्तराखण्ड	5
उत्तर प्रदेश	36
पश्चिम बंगाल	7
कुल	465

13. शिक्षा—सत्र 2019–2020 से आगे अनुमोदन का विस्तार :

वास्तुकला परिषद् ने शिक्षा—सत्र 2019–2020 के लिए यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के अनुमोदन या अन्यथा की अवधि निम्नलिखित ढंग से बढ़ाई:

- (i) संस्थाएं जिनमें बी. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : 422
- (ii) संस्थाएं जिनमें एम. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : 79
- (iii) संस्थाएं जिनमें बी. आर्की. पाठ्यक्रम की शुरुआत के लिए अनुमोदन : 15

(iv) संस्थाएं जिनमें बी.आर्की. पाठ्यक्रम में कोई “प्रवेश नहीं” घोषित किया गया : 10

(v) संस्थाएं जिनमें एम.आर्की. पाठ्यक्रम में कोई “प्रवेश नहीं” घोषित किया गया : 2

(vi) संस्थाएं जिनकी ‘मान्यता वापस’ ली गई : शून्य

परिषद् ने शिक्षा—सत्र 2020–2021 के लिए अनुमोदन प्रक्रिया का प्रारम्भ भी कर दिया है।

14. वास्तुकला संस्थानों में दाखिल बी.आर्की. पाठ्यक्रम के छात्रों को पंजीकरण नंबर जारी करना :

परिषद् संस्थानों द्वारा दाखिल छात्रों को पंजीकरण संख्या जारी कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों की परिषद् द्वारा निर्धारित पात्रता है तथा साथ ही वे परिषद् द्वारा स्वीकृत इनटेक के अंतर्गत दाखिल हुए हैं। परिषद् संस्थानों द्वारा प्रस्तुत छात्रों से संबंधित जानकारी के आधार पर नामांकन संख्या ऑनलाइन जारी कर रही है।

पिछले 5 वर्षों में बी.आर्की. के छात्रों के लिए परिषद् द्वारा जारी नामांकन संख्या का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :

शैक्षणिक वर्ष	नामांकित छात्र	नामांकन हेतु आवेदन करने वाले कॉलेजों की संख्या
2014	18342	346
2015	19241	395
2016	18702	396
2017	14677	382
2018	16576	390
2019	8182	225

15. वास्तुकला में राष्ट्रीय एप्टीटयूड टेस्ट (नाटा):

परिषद् 5 वर्ष के बी.आर्की. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए वास्तुकला में राष्ट्रीय एप्टीटयूड टेस्ट (नाटा) एकल खिड़की परीक्षा के रूप में प्रत्येक वर्ष आयोजित कर रही है। नाटा 2019 दो बार आयोजित किया गया था। प्रथम टेस्ट 14 अप्रैल, 2019 को आयोजित किया गया था। प्रथम परीक्षा के लिए कुल 35748 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और 32856 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया और 27232 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

इसके अलावा, द्वितीय नाटा टेस्ट दिनांक 07.07.2019 को आयोजित किया गया था। द्वितीय परीक्षा के लिए 35651 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और 18126 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया और 14589 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। परिषद् ने नाटा 2020 परीक्षा को आयोजित करने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी है।

16. प्रशिक्षण कार्यक्रम:

प्रोफेसर जयश्री देशपांडे, निदेशक, सीओए—टीआरसी, पुणे द्वारा पिछले वर्ष के दौरान पुणे तथा अन्य शहरों में शिक्षकों और पेशेवर वास्तुविदों के लिए 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में देश भर के 521 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	संयोजक का नाम	दिनांक	प्रतिभागी संख्या
1.	बिहौव्यरल स्किल्स फॉर टीचर्स इन आर्किटेक्चर, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेंटर (सीओए—टीआरसी), पुणे	प्रो. जयश्री देशपांडे	24 से 28 जून, 2019	22
2.	डिजाइन पेडागोजी ऐक्सप्लोरेशनस – फोम बेसिक डिजाइन टू डिजाइन थिसेस, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, सीएसआई इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिकंदराबाद, तेलंगाना	प्रो. नहिमा शाहनवाज	1 से 5 जुलाई, 2019	28
3.	कॉन्टेक्स्ट सेन्सिटिव डिजाइन ऐप्रोच, बीएमएस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, बैंगलोर, कर्नाटक	डॉ. ममता पी. राज	29 जुलाई से 2 अगस्त 2019	26

4.	लर्निंग टू टीच एण्ड टीचिंग टू लर्न, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेंटर (सीओए-टीआरसी), पुणे	प्रो. जयश्री देशपांडे	26 से 30 अगस्त, 2019	26
5.	प्रीडिजाइन टू डिजाइन कोन्सोर्ट, लक्ष्मी इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, सारीगाम, गुजरात	वा. नरेश शाह	16 से 20 सितम्बर, 2019	11
6.	कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर इफैक्टिव टीचिंग—डिस्कोर्स, मराठवाडा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे, महाराष्ट्र	प्रो. आरती पाटिल	23 से 27 सितम्बर, 2019	33
7.	अर्बन लेन्डस्कैप्स, सीटीईएस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, मुम्बई, महाराष्ट्र	वा. अंजू कपूर बरेजा	11 से 15 नवम्बर, 2019	28
8.	रिसर्च मेथड्स एण्ड एनालाइटीकल एप्लिकेशन्स इन आर्किटेक्चर एण्ड अर्बन प्लानिंग, कलासालिंगम यूनिवर्सिटी, कृष्णाकोइल, तमिलनाडु	डॉ. एन. लक्ष्मी थिलगाम	18 से 22 नवम्बर, 2019	12
9.	इन्टिग्रेटिंग इफेक्टिव एण्ड इनोवेटिव मेथड्स फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स इन आर्किटेक्चर करिक्युलम, डीए पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	प्रो. मधुगंधा ए. मिथारी	02 से 06 दिसम्बर, 2019	32
10.	आर्किटेक्चर थीअरी, भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र	प्रो. रितु जी. देशमुख	04 से 08 दिसम्बर, 2019	26
11.	एज्यूकेशन ऑफ डिजाइन प्रोफेशनल एन इकारिट्स अप्रोच, वीडीएस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, मुम्बई, महाराष्ट्र	प्रो. आनन्द अचारी	09 से 13 दिसम्बर, 2019	30
12.	रिसर्च इन आर्किटेक्चर, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेंटर (सीओए-टीआरसी), पुणे	प्रो. जयश्री देशपांडे	16 से 20 दिसम्बर, 2019	31
13.	इन्टिग्रेटीव अप्रोच ट्रूवर्ड्स पेडागोगी ऑफ दा डिजाइन स्टूडियो, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, एमएस रमेया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, बैंगलोर, कर्नाटक	प्रो. पुष्पा देवनाथन	06 से 10 जनवरी, 2020	29
14.	हैबिटेट : एन अप्रोच ट्रूवर्ड्स कम्प्यूनिटी लिविंग, पीवीपी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे, महाराष्ट्र	प्रो. प्रसन्ना देसाई	20 से 24 जनवरी, 2020	40
15.	क्लाइमेटोलोजी एण्ड आर्किटेक्चर, के.एस. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बैंगलोर, कर्नाटक	डॉ. एन. जगन्नाथन	27 से 31 जनवरी, 2020	19
16.	टीचिंग आर्किटेक्चर — इनोवेटीव अप्रोचेस, एससीएमएस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, एर्नाकुलम, केरल	वा. केर्स्टन फ्रिक	27 से 31 जनवरी, 2020	30
17.	मेथाडोलोजी एण्ड एक्स्प्लॉरेशन इन आर्किटेक्चर रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ बिल्डिंग एण्ड एन्वाइरनमेंट, सत्यवामा यूनिवर्सिटी, चैन्नई, तमिलनाडु	डॉ. देवयानी गंगोपाध्याय	03 से 07 फरवरी, 2020	19
18.	आर्किटेक्चर थीअरी : ए लैटरल कनेक्ट, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेंटर (सीओए-टीआरसी), पुणे	वा. फातेमा कबीर	10 से 14 फरवरी, 2020	15
19.	डिजाइन पेडगोगी, गोपालन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग, बैंगलोर, कर्नाटक	प्रो. नागेन्द्र एम.	17 से 21 फरवरी, 2020	18

20.	लर्निंग फोम मास्टरस, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेंटर (सीओए-टीआरसी), पुणे	वा. प्रदन्या चौहान	24 से 28 फरवरी, 2020	15
21.	वास्तु शास्त्र : थीअरी, कॉन्सेप्ट एण्ड एप्लीकेशन, काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेंटर (सीओए-टीआरसी), पुणे	वा. शशिकला अनंत	02 से 06 मार्च, 2020	26
22.	एन्हैन्सिंग डिजाइन एप्रोच इन आर्किटेक्चरल अकेडमी, वसंतदादा पाटिल प्रतिष्ठान मनोहर फालके कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, मुम्बई, महाराष्ट्र	प्रा. सुरेन्द्र राणे	11 से 15 मार्च, 2020	5
कुल प्रतिभागी				521

17. पुरस्कार कार्यक्रम :**क. वास्तुकला शोध-प्रबंध में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार :****➤ स्नातकपूर्व :-**

वास्तुकला परिषद् ने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के माध्यम से युवा प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातकपूर्व शोध-प्रबंध परियोजनाओं हेतु वास्तुकला शोध प्रबंध कार्यक्रम में उत्कृष्टता हेतु 14वां राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह आयोजित किया।

आंचलिक जूरी निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए:-

मण्डल	स्थान	संयोजक कॉलेज
1	नोएडा	ऐमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ऐमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश
2	लखनऊ	ऐमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ऐमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ केम्पस, उत्तर प्रदेश
3	पुणे	मराठवाडा मित्रा मंडल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे, महाराष्ट्र
4	बैंगलोर	आर.वी. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर (आर.वी.सी.ए.), बैंगलोर, कर्नाटक
5	चैन्नई	हिन्दूस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, चैन्नई, तमिलनाडु

आंचलिक जूरी के निम्नलिखित सदस्य थे:-

मण्डल 1	वा. तृप्ति दोशी, वा. श्रीनिवास मुर्ति, वा. यतिन पांड्या
मण्डल 2	वा. रेखा सी. जेट्टी, वा. संध्या मंजूनाथ, वा. संज्योत शाह
मण्डल 3	वा. सविना खन्ना, वा. विद्याधर एस. वोडेयार, वा. आरती ग्रोवर
मण्डल 4	वा. जैमिनी मेहता, वा. अख्तर चौहान, वा. बंदना जैन
मण्डल 5	वा. रंजना मित्तल, वा. अनुज श्रीवास्तव, वा. समीर माथुर

नेशनल जूरी का आयोजन डी.वाई. पाटिल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में हुआ। नेशनल फाइनल के लिए जूरी के सदस्य थे वा. पुनीता मेहता, वा. के. जयसिंह, वा. राजीव मिश्रा।

➤ स्नातकोत्तर :-

स्नातकोत्तर शोध-प्रबंध परियोजनाओं के लिए स्नातकोत्तर शोध-प्रबंध में 06वाँ उत्कृष्टता राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम का आरंभ देशभर से वास्तुकला में स्नातोत्तर पाद्यक्रमों के छात्रों को प्रेरित करने तथा उनका उत्साहवर्धन करने तथा वास्तुकला स्कूलों में अनुसंधान प्रक्रिया के विकास करने के लिए किया गया।

नेशनल जूरी का आयोजन दिनांक 24 जनवरी, 2020 को डी.वाई. पाटिल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में हुआ। नेशनल फाइनल के लिए जूरी के सदस्य थे वा. उत्पल शर्मा, वा. बी.एस. भूषण तथा वा. प्रथा रंजन दास।

ख. वास्तुकला हेरिटेज प्रलेखन में उत्कृष्टता के लिए छात्र पुरस्कार :

परिषद् ने स्नातक प्रलेखन परियोजनाओं के लिए 'वास्तुकला हेरिटेज प्रलेखन में उत्कृष्टता' के लिए द्वितीय छात्र पुरस्कार का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य छात्रों की रुचि और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, हेरिटेज इमारतों के प्रलेखन की समझ और देश भर में वास्तुकला के छात्रों के बीच भारत की वास्तुकला हेरिटेज के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता को विकसित करना है। आंचलिक जूरी निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित की गई :

मण्डल	स्थान	संयोजक कॉलेज
1	नोएडा	ऐमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ऐमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश
2	लखनऊ	ऐमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ऐमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ केम्पस, उत्तर प्रदेश
3	पुणे	मराठवाडा मित्रा मंडल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे, महाराष्ट्र
4	बैंगलोर	आर.वी. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर (आर.वी.सी.ए.), बैंगलोर, कर्नाटक
5	चैन्नई	हिन्दूस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, चैन्नई, तमिलनाडु

मंडल की जूरी के निम्नलिखित सदस्य थे:-

मण्डल 1	वा. मिनाक्षी जैन, वा. सुरिंदर बाहगा
मण्डल 2	वा. कविता जैन, वा. जी. शंकर नारायण
मण्डल 3	वा. देवल कुमार राजवंशी, वा. ऐश्वर्या टिपनिस
मण्डल 4	वा. रविंद्र वासवदा, वा. विकास दिलावरी
मण्डल 5	वा. शालिनी दासगुप्ता, वा. निधि डंडोना

राष्ट्रीय जूरी का आयोजन दिनांक 24 जनवरी, 2020 को डी.वाई. पाटिल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में किया गया था। राष्ट्रीय फाइनल के लिए जूरी के सदस्य वा. के.बी.जैन, वा. स्मिता खान थे।

ग. सीओए जीआरआईएचए के वास्तुकला शोध-प्रबंध में उत्कृष्टता के लिए सस्टैनबल आर्किटेक्चर डिजाइन विषय में राष्ट्रीय पुरस्कार :

परिषद् और सीओए जीआरआईएचए (सह- आयोजक) ने देश भर में भावी वास्तुविदों के डिजाइन में रिश्वता लाने के उद्देश्य से स्नातक और स्नातकोत्तर परियोजनाओं के लिए सस्टैनबल आर्किटेक्चर डिजाइन विषय में वास्तुकला शोध-प्रबंध में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार आयोजित किया।

राष्ट्रीय जूरी का आयोजन दिनांक 24 जनवरी, 2020 को डी.वाई. पाटिल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में किया गया था। राष्ट्रीय फाइनल के लिए जूरी के सदस्य वा. रोशनी उदिवर, वा. शेखर बगोल, वा. शैली महेरा थे।

स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर, प्रलेखन परियोजना और सस्टैनबल आर्किटेक्चर डिजाइन के पुरस्कार वितरण समारोह डी.वाई. पाटिल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में किया गया था।

18. व्यवसायिक आउटरीच कार्यक्रम :

वास्तुकला, वास्तुविद अधिनियम, 1972, के नियम और विनियमों के बारे में जागरूकता फैलाने और वास्तुविदों के व्यवसाय से संबंधित मामलों के लिए, परिषद् ने दिनांक 23.12.2020 को चंडीगढ़ में, दिनांक 11.01.2020 को चैन्नई में और दिनांक 21.02.2020 को बैंगलोर में व्यवसायिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया।

19. सरकारी विभागों/उपकरणों द्वारा वास्तुविदों का चयन :

वास्तुकला परिषद् द्वारा अनेक सरकारी प्राधिकरणों को लिखित रूप में कहा गया है कि वे केवल वास्तुकला प्रतियोगिता दिशा-निदेशों के अनुरूप ही निर्धारित शुल्क पर वास्तुविदों की नियुक्ति करें।

अध्यक्ष, सीओए द्वारा निर्धारित शुल्कों को सरकार द्वारा अपनाने पर विचार करने तथा सलाहकारों की नियुक्ति प्रक्रिया में भारत सरकार के मैनुअल में संशोधन हेतु सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से मिले।

20. वास्तुविद अधिनियम, 1972 को लागू करना:

वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 36 और 37 के अधीन वास्तुविद के रूप में अयथार्थ रूप प्रस्तुत करने के साथ-साथ वास्तुकला की पदवी और शैली का दुरुपयोग निषेध है। अधिनियम का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। परिषद् उल्लंघनकर्ताओं को अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिए नोटिस जारी कर रही है।

21. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत पंजीकृत वास्तुकला परिषद् कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना :

वास्तुकला परिषद् द्वारा, कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित और परिशोधित, वास्तुकला परिषद् कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट डीड और नियम अपनाए गए हैं।

22. प्रकाशनः

परिषद् द्वारा अपनी वास्तुकला पत्रिका "टाइम स्पेस एंड घूमपल" लाइफ स्टाइल मीडिया, नई दिल्ली के सहयोग से मुद्रित एवं प्रकाशित की जा रही है। पत्रिका के प्रकाशन को प्रिंटर और पब्लिशर की कमी के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। डायरेक्टरी ऑफ आर्किटेक्चर्स 2019 और हैंडबुक ऑफ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स 2019 के प्रकाशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

परिषद् ने वास्तुकला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकों का प्रकाशन / और मुद्रित किया है। पुस्तकों के प्रकाशन से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं :

क. निम्नलिखित पुस्तकों भारत के वास्तुकला कॉलेजों में वितरित की गई है :-

- आर्काइविंग आर्किटेक्चर थीसिस-2015
- जर्नल ऑफ कार्डिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर - हाऊसिंग
- आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 2016
- आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 2017

ख. निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशन की प्रक्रिया में है तथा शीघ्र ही प्रकाशित की जाएंगी :-

- जर्नल ऑफ कार्डिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर - स्टैनबल डिवलेफैन्ट

ग. निम्नलिखित पुस्तकों तैयार हैं तथा शीघ्र ही मुद्रित एवं प्रकाशित की जाएंगी :

- जर्नल ऑफ कार्डिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर - हेरिटेज एण्ड कर्जेवेशन
- आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 2011

घ. निम्नलिखित पुस्तक के प्रथम चरण की प्रूफ रीडिंग का काम पूरा हो गया है और पुस्तक को संकलित करने के लिए सुधार/सुझाव हेतु कॉलेज प्रभारी को भेजी गई है :

- आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 2018

ड. निम्नलिखित पुस्तक डिजाइनिंग प्रक्रिया में है :

- बुक ऑन स्टुडेंट्स अवार्ड्स फॉर डोक्यूमेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर हेरिटेज 2018

च. निम्नलिखित जर्नल के प्रथम चरण की समीक्षा का काम चल रहा है :

- जर्नल ऑफ कार्डिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर (जे.सी.ओ.ए.)- इन्क्लूसिव इन्चाइरनमेंट

23. आभार :

परिषद् केंद्रीय सरकार तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों, सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित क्षेत्रों और सभी वास्तुकला विद्यालयों को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए उनका धन्यवाद और प्रशंसा करती है।

परिषद् अपने पदाधिकारियों और वास्तुकला परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखापरीक्षकों, अधिवक्ताओं, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैविट्स कर रहे वास्तुविदों, शिक्षाविदों और सभी विज्ञापन दाताओं के प्रति वास्तुविद् अधिनियम 1972 के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्ग-दर्शन, सलाह तथा समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2019–2020 के दौरान उसे उपयोगी सेवाएं प्रदान कीं।

दिनांक: 12.10.2020

आर. के. ओबराय, रजिस्ट्रार
[विज्ञापन -III/4/ असा. /520/2020-21]

वी.के.वर्मा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

सी-37, कनॉट प्लैस, नई दिल्ली.110001,

फोन : 23415811, 23416858, 23415778, 23411014

फैक्स : 91-11-23417925

ई-मेल : vkverma@vkvermaco.com, pverma@vkvermaco.com

वेबसाइट : www.vkvermaco.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

हमने “वास्तुकला परिषद्”, इंडिया हैबिटेट सेटर, कोर 6 ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च, 2020 के संलग्न तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा एवं प्राप्ति तथा अदायगी लेखा, जिसमें परिषद् के कार्यालयों के सभी लेखे शामिल हैं, की परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करना है।

हमने आजतक अधिसूचित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सामान्यतः स्वीकृत किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं ताकि वित्तीय विवरण किसी विशेष गतत विवरण से मुक्त रहे। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना और वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटनों का लेखा परीक्षा साक्ष्य शामिल होता है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें धोके या गलती से वित्तीय विवरणों के गलत भौतिक विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। उन जोखिम मूल्यांकनों के निर्माण में लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के डिजाइन के अनुसार वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुतीकरण और निर्माण के लिए दिए गए आंतरिक नियंत्रणों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं किन्तु आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर मत व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान और समूचे वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि अनुलम्बनक सं. 14 – लेखाओं के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां नोट सं. 01 से 18 तक हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि :

1. हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, हमने लेखा बहियों की जो जांच की है उससे यह प्रकट होता है कि परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 द्वारा अपेक्षित रूप में उचित लेखा बहियां रखी हुई हैं;
3. तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा और प्राप्ति एवं अदायगी लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं; और
4. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार संलग्न अनुसूचियों सहित और लेखाकरण नीतियों के भाग के रूप में टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण द्वारा—
 - (क) 31 मार्च, 2020 को परिषद् की कार्यस्थिति से संबंधित तुलन-पत्र और
 - (ख) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय संबंधित आय-व्यय लेखे।
 - (ग) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के प्राप्ति तथा अदायगी लेखे का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है।

कृते वी.के.वर्मा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

एफ आर एन : 000386 एन

(आर.सी. हसीजा)

भागीदार

सदस्यता सं. 054809

यूटीआईएन : 20054809AAAACJ7041

दिनांक: 12.10.2020

स्थान: नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित)
(लाभेतर संगठन-सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च 2020 को तुलन-पत्र

(राशि रूपए में)

अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र / पूँजीगत निधि तथा देयताएँ		
भारत सरकार से उद्दिष्ट निधियाँ	1	150000.00
चिह्नित निधि	2	733467395.00
देयताएँ	3	319864113.00
अधिशेष / घाटा लेखा	7	366665713.73
कुल		1420147221.73
परिसंपत्तियाँ		1151010506.34
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4	216200757.00
निवेश	5	966905204.00
		10200053.00
		692157245.00

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	6	237041260.73	448653208.34
कुल		1420147221.73	1151010506.34
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार,
कृते वी.के.वर्मा एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन : 000386 एन

ह/-
(रजिस्ट्रार)

ह/-
(प्रेसीडेंट)

ह/-
(सीए आर.सी. हसीजा)

सदस्यता सं. 054809

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 12.10.2020

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली
(भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित)
(लाभेतर संगठन—सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का आय—व्यय

(राशि रूपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
फीस	8	38105424.00	37379639.00
अन्य आय	9	155863428.79	128995857.46
अर्जित ब्याज	10	61654252.75	36581938.12
कुल (क)		25,56,23,105.54	20,29,57,434.58
व्यय			
स्थापना व्यय	11	18967814.00	19655771.00
प्रशासनिक व्यय	12	12979503.15	13147950.52
शिक्षा व अम्यास के उन्नयन संबंधी व्यय	13	905740.00	1340839.00
मूल्यद्वास	4	1048977.00	1165461.00
कुल (ख)		33902034.15	35309921.52
व्यय से अधिक आय का शेष (क—ख)		22172071.39	167647513.06
अधिशेष तथा घाटा लेखा में अंतरित		22172071.39	167647513.06
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार,

कृते वी.के.वर्मा एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन : 000386 एन

ह/-
(रजिस्ट्रार)

ह/-
(प्रेसीडेंट)

ह/-
(सीए आर.सी. हसीजा)

सदस्यता सं. 054809

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 12.10.2020

वास्तुकला परिषद : नई दिल्ली
 (भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित)
 (लाभेतर संगठन—सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

(राशि रुपए में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष	अदायगीयाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष
1. रोकड़ जमा			1. व्यय		
क) नकदी शेष	17,408.00	22,093.00	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 11 के अनुसार)	1,89,67,814.00	1,96,55,771.00
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 12 के अनुसार)	1,29,79,503.15	1,31,47,850.52
1. चालू खाते में	18,038.51	20,52,773.51	ग) शिक्षा व अभ्यास के उन्नय संबंधी व्यय	9,05,740.00	13,40,839.00
2. बचत खाते में	2,63,18,857.83	4,25,02,920.38	(अनुसूची 13 के अनुरूप)		
3. ड्राफट हाथ में	5,29,340.00	12,20,446.00			
2. प्राप्त निधियाँ			2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से की गई अदायगीयाँ		
क) मूल्यांकन फीस	7,17,50,000.00	6,94,50,000.00	क) नाटा व्यय	3,25,42,820.21	2,92,90,386.00
ख) निर्णय की समीक्षा का शुल्क	38,50,000.00	1,08,00,000.00	ख) मूल्यांकन एवं निरीक्षण व्यय	2,59,77,382.00	2,56,42,174.00
ग) संस्थान से दण्ड / जुर्माना	6,80,000.00	15,80,000.00	ग) मध्यस्थता व्यय	82,333.00	1,14,667.00
घ) संस्थान के नाम / साइट में परिवर्तन / समाप्ति शुल्क	30,00,000.00	1,06,000.00	घ) वास्तुकला निर्देशिका व्यय	0.00	0.00
ड.) मध्यस्थता फीस	1,68,500.00	23,00,000.00	ड.) प्रकाशन व्यय	36,85,903.00	2,46,346.00
			च) बीईइ कार्यक्रम व्यय	12,46,513.00	19,57,485.00
			छ) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम संचालन व्यय	54,96,676.00	70,30,367.00
3. प्राप्त ब्याज			3. निवेश और जमा की गई राशियाँ		
क) बैंक जमा पर	5,77,60,176.75	3,28,01,188.12	क) उद्दिष्ट / अक्षय निधियों से	55,90,48,166.00	34,83,00,207.00
ख) ऋण, पेशगियाँ आदि	11,80,891.00	12,39,865.00	ख) वास्तुकला संस्थानों से प्रतिकूल सुरक्षा जमा	3,55,00,000.00	12,15,00,000.00
ग) बचत बैंक खाते पर	27,13,185.00	25,40,885.00	4. स्थायी परिसंपत्तियों तथा पूँजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
4. फीस से आय			क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	20,70,84,780.00	15,87,704.00
क) पंजीकरण फीस	76,39,200.00	64,31,400.00	5. अन्य अदायगीयाँ		
ख) नवीकरण फीस	72,57,100.00	43,49,000.00	क) बैंक / कंपनियों द्वारा काटा गया टीडीएस	59,85,286.00	34,27,497.00
ग) पुनःस्थापन फीस	38,82,000.00	25,12,000.00	ख) स्टाफ को पेशगियाँ	10,00,000.00	13,83,000.00
घ) अनुलिपि प्रमाण—पत्र फीस	2,80,800.00	2,70,000.00	ग) अन्य पेशगियाँ	8,14,257.00	29,86,112.00
ड.) वास्तुविदों से जुर्माना	1,03,95,250.00	1,12,11,980.00	घ) एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	86,50,474.00	77,81,649.00

च) एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	86,50,474.00	69,78,374.00	ड.) नाटा फीस पेशगियाँ	10,10,71,000.00	8,50,75,500.00
अतिरिक्त अर्हता फीस	600.00	1,000.00	च) मूल्यांकन फीस पेशगियाँ	7,12,50,000.00	6,93,00,000.00
छ)			छ) प्राप्ति योग्य/देय राशि	4,86,738.50	4,90,579.00
5. अन्य आय			ज) वर्ष के लिए अर्जित बैंक ब्याज	26,61,534.67	37,65,867.06,
क) प्रकाशनों से आय	37,58,683.00	2,70,375,00.00	झ) स्टाफ पेशगियाँ से अर्जित ब्याज	11,80,891.00	12,39,865.00
ख) आर टी आई फीस	820.00	700.00	ऋ) नाटा परीक्षा के लिए पूर्वदाता व्यय	6,60,751.00	33,51,205.55
ग) नाटा फीस	12,62,32,600.00	9,29,06,000.00			
घ) नाटा डाटा शेरिंग चार्ज	29,00,000.00	0.00			
ड.) विविध आय	60,949.00	8,305.46			
च) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम संचालन शुल्क	93,85,000.00	1,35,83,750.00			
छ) थीसिस पुरस्कार कार्यक्रम — प्रायोजन	15,23,300.00	000.00			
6. अन्य प्राप्तियाँ			6. रोकड़ जमा		
क) एक बारगी नवीकरण फीस	3,47,53,000.00	3,21,31,000.00	क) नकदी शेष	14,500.00	17,408.00
ख) वर्ष के दौरान परिपक्व एफडीआर	31,98,00,207.00	13,12,34,602.00	ख) बैंक शेष		
ग) स्टाफ से वसूल की गई पेशगियाँ	24,08,335.00	22,88,071.00	1) चालू खाते/ओडी खाते में	19,43,919.51	18,038.51
घ) वसूल की गई अन्य पेशगियाँ	35,18,05,222.55	18,10,031.00	2) बचत खाते में	15,70,13,234.66	2,63,18,857.83
ड.) ब्याज समायोजन से अर्जित ब्याज	36,44,607.06	28,49,025.00	3) उपलब्ध ड्राफ्ट	19,96,635.00	5,29,340.00
च) देय कर / राशि/पोस्टेज	20,68,900.00	4,00,046.00			
छ) नाटा फीस पेशगी	8,84,55,800.00	10,10,71,000.00			
ज) डीओए/एचबी-2020 विज्ञापन अग्रिम	31,32,390.00	0.00			
झ) मूल्यांकन फीस पेशगियाँ	6,53,00,000.00	7,12,50,000.00			
ञ) निष्पादन सुरक्षा	12,86,526.00	0.00			
ट) मौजूदा वास्तुकला संस्थानों से सुरक्षा जमा	5,00,000.00	7,15,00,000.00			
ठ) नए वास्तुकला संस्थानों से सुरक्षा जमा	3,50,00,000.00	5,00,00,000.00			
ड) बीईआर प्रायोजन / प्रशासनिक शुल्क	3,38,691.00	0.00			
कुल	1,25,84,46,851.70	77,54,98,715.47	कुल	1,25,84,46,851.70	77,54,98,715.47

वास्तुकला परिषद् के लिए और
उसकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते, वी.के.वर्मा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

एफ.आर.एन : 000386 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 12.10.2020

ह/-
(रजिस्ट्रार)

ह/-
(प्रेसीडेंट)

ह/-
(सीए आर.सी. हसीजा)
सदस्यता सं. 054809

COUNCIL OF ARCHITECTURE
 (A STATUTORY AUTHORITY OF GOVT. OF INDIA)
NOTIFICATION
 New Delhi, the 24th February, 2021
ANNUAL REPORT 2019-2020

F.No.CA/55B/III/2021/A.R.- The Council of Architecture set up under the Architects Act, 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending on 31st March, 2020.

The Council is functioning under the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India and is regulatory body for architectural education and profession in the country.

Organizational Structure:

The President, Council of Architecture, is the Head of the Organization under whose overall charge the Council functions. Ar. Habeeb Khan is President of the Council. The Registrar, Council of Architecture is the Chief Executive Officer of the Council.

Statutory and Other Committee:

In order to carry out the objectives of the Act, the Central Government has framed Rules and the Council has framed Regulations and constituted various Committees to carry on the duties and functions of the Council. The Executive Committee functions as an Executive Authority of the Council. The Disciplinary Committee investigates the complaints and holds enquiries related to allegations of professional misconduct against architects. The Advisory Committee (Appeals) hears the appeals of the applications whose applications for registration are rejected. Apart from these several other Committees are constituted from time to time for particular/special purposes.

Further, the Council also constituted a Scrutiny Committee to examine the reference received to scrutinize the proposals/applications received from new institutions for imparting Bachelor's Degree in Architecture and Master's Degree in Architecture.

The details of the various activities undertaken by the Council from 01.04.20119 to 31.03.2020 are enumerated below:

1. MEETINGS:

Council Meetings: During the year under report the Council had its two meetings i.e. 71st Meeting on 27th July, 2019 and 72nd Meeting on 24th & 25th January, 2020 at New Delhi.

Executive Committee Meetings: During the year under report the Executive Committee had its 10 meetings as under:

1. 201st Meeting held on 5th April, 2019, at New Delhi;
2. 202nd Meeting held on 27th April, 2019, at New Delhi;
3. 203rd Meeting held on 25th & 26th May, 2019, at New Delhi;
4. 204th Meeting held on 16th June, 2019, at New Delhi;
5. 205th Meeting held on 8th July, 2019, at New Delhi;
6. 206th Meeting held on 26th July, 2019, at New Delhi;
7. 207th Meeting held on 12th & 13th November, 2019, at New Delhi;
8. 208th Meeting held on 13th December, 2019, at New Delhi;
9. 209th Meeting held on 11th & 12th January, 2020, at Chennai;
10. 210th meeting held on 21st & 22nd February, 2020 at Bangalore;

2. ELECTIONS TO OFFICE OF PRESIDENT, VICE-PRESIDENT AND EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS OF THE COUNCIL:

The Returning Officer appointed by the Central Government held the elections to the office of the President, Vice-President and Five members of the Executive Committee on 22nd October, 2019. The details of members elected for the Office of the President, Vice-President and Executive Committee are as under :

1. Ar. Habeeb Khan, President;
2. Ar. Sapna, Vice-President;
3. Ar. N. K. Negi, Member, Executive Committee;
4. Ar. Kapil Setia, Member, Executive Committee;
5. Ar. R. Ramesh Kumar, Member, Executive Committee;
6. Ar. Bansan Singh Thangkhiew, Member, Executive Committee; and
7. Ar. Sadiq Ali, Member, Executive Committee.

3. ELECTIONS OF COUNCIL MEMBERS ELECTED FROM AMONGST THE HEADS OF ARCHITECTURAL INSTITUTIONS:

The Returning Officer appointed by the Central Government held the elections of the five members of the Council from among heads of Architectural Institutions and declared following architects elected as members of the Council w.e.f. 20.08.2019:

1. Ar. Amogh Kumar Gupta;
2. Ar. Abhay V. Purohit;
3. Ar. Amit Kumar Garg;
4. Ar. Jayalakshmi V. ; and
5. Ar. P. Satheesh Kumar.

4. REGISTRATION OF ARCHITECTS:

The Council registers a person, as an Architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of Architecture in India and holds a recognized architectural qualification. The application for registration and fees is accepted through online mode.

During the year, the Council has registered **14250** qualified persons as Architects. With this as on 31st March, 2020, a total of **120944** Architects have been registered as architects. On 31st March, 2020, **99825** architects hold valid registration as Architects with the Council of Architecture. As on 31.03.2020, details of architects with valid registration are as under:

Sl.No.	Name of States/UTs	Registered Architects
1.	Andaman and Nicobar	36
2.	Andhra Pradesh	1447
3.	Arunachal Pradesh	61
4.	Assam	698
5.	Bihar	729
6.	Chandigarh	780
7.	Chhattisgarh	880
8.	Dadar and Nagar Haveli	24
9.	Daman and Diu	30
10.	Delhi	9377
11.	Goa	762
12.	Gujarat	6067
13.	Haryana	3943
14.	Himachal Pradesh	508

15.	Jammu and Kashmir	334
16.	Jharkhand	518
17.	Karnataka	7338
18.	Kerala	5207
19.	Ladakh	4
20.	Lakshadweep	4
21.	Madhya Pradesh	2718
22.	Maharashtra	27986
23.	Manipur	110
24.	Meghalaya	128
25.	Mizoram	84
26.	Nagaland	56
27.	Orissa	967
28.	Pondicherry	206
29.	Punjab	1957
30.	Rajasthan	2179
31.	Sikkim	75
32.	Tamil Nadu	10619
33.	Telangana	3705
34.	Tripura	42
35.	Uttaranchal	816
36.	Uttar Pradesh	7131
37.	West Bengal	2297
38.	C/o 56 APO	1
39.	C/o 99 APO	1
Total		99825

5. DRAFT NATIONAL EDUCATION POLICY PREPARED BY THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, GOVT. OF INDIA:

The Ministry of HRD, Govt. of India has prepared a Draft National Education Policy 2020 and sought views/ suggestions on the same. The Council also submitted its views/ suggestions on the same to the Hon'ble Minister of HRD, govt. of India, on 14th November, 2019, inter alia requesting that the Architectural Education be excluded from the purview of the proposed Higher Education Commission of India.

6. COMPLAINTS FOR PROFESSIONAL MISCONDUCT AGAINST ARCHITECTS:

During the year under the report, the Council has received 20 complaints against Architects for alleged professional misconduct.

All Architects are required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of hearing to the concerned Architect.

7. DISCIPLINARY COMMITTEE:

In terms of Council of Architecture Rules, 1973, the Disciplinary Committee is constituted by the Central Government, from time to time by gazette notification, to investigate the complaints received against Architects for alleged professional misconduct as referred by the Council.

During the year under report the Disciplinary Committee 6 times i.e. on 25th April, 2019, 22nd and 23rd May, 2019, 20th June, 2019, 2nd September, 2019 and 12th December, 2019 and investigated 17 Complaints against architects.

8. COMMITTEE ON RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS:

In terms of Section 15 of the Architects Act, 1972, the Central Government is empowered to recognize foreign architectural qualifications, upon consultation with the Council of Architecture, for the purposes of the Architects Act, 1972.

The Council has constituted a Committee to consider the references received from the Central Government and make its report. During the year under report the Committee four times i.e. on 6th June, 2019, 5th November, 2019, 13th January, 2020 and 24th January, 2020 and considered the cases received from the Central Government and has submitted its report to Full Council.

9. SUPPLY OF INFORMATION UNDER RTI ACT, 2005:

Shri Deepak Kumar, Administrative Officer, is Public Information Officer in the Council, Shri Deepak Kumar Singh, Assistant Administrative Officer, is Assistant Public Information Officer and Shri Raj Kumar Oberoi, Registrar, is Appellate Authority in the Council in terms of provisions of the RTI Act, 2005.

During the period under report, the Council provided information to in respect of 150 RTI Applications and dealt with 11 First Appeal as per the RTI Act.

10. APPROVAL OF COUNCIL OF ARCHITECTURE MINIMUM STANDARDS OF ARCHITECTURAL EDUCATION REGULATIONS, 2017.

In terms of the provisions of Section 21 of the Architects Act, 1972, the Council is vested with the power to prescribe minimum standards of architectural education for imparting recognized qualifications by architectural institutions. The Council earlier framed Regulations on Minimum Standards of Architecture Education with the approval of the Central Government in the year 1983.

The Council after having wider consultations with all stakeholders framed Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2017 to repeal the existing Regulations framed in the year 1983. The Draft Regulations were modified as per advice of the Ministry and re-submitted as Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020. These are likely to be approved very soon.

11. REGULATIONS ON ANTI RAGGING IN ARCHITECTURAL INSTITUTIONS IN TERMS OF ORDERS OF HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA:

The Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 887 of 2009, University of Kerala V/s Council's, Principals, Colleges, Kerala & Ors. Vide order dated 08th May, 2009 directed for creating of anti-ragging measures including Regulations on Anti-Ragging. The Hon'ble Supreme Court also directed that the Regulations on curbing the menace of ragging, formulated by the UGC should be implemented with urgency. It deserves and to be adopted by all other regulatory Bodies such as AICTE, MCI, DCI etc.

In view of these directions of the Hon'ble Supreme Court, the Council in its 71st meeting held on unanimously adopted The University Grants Commission Regulations on Curbing of Ragging in Higher Education Institutions, 2009, along with its amendments from time to time, are adopted by the Council of Architecture in toto for Architectural Institutions in the country.

12. APPROVAL OF NEW INSTITUTIONS IN THE ACADEMIC SESSION 2019-2020:

During the year under the report 15 new institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses and 17 existing institutions were granted approval for introduction of PG courses. At present, there are 465 institutions which are imparting recognized architectural qualifications during the academic session 2019-2020 with the approval of Council. The state wise number of institutions are listed below :

State	No of Schools
Andhra Pradesh	9
Assam	2
Bihar	1
Chhattishgarh	6
Chandigarh	1
Delhi	6
Goa	1
Gujarat	34
Himachal Pradesh	3
Haryana	25
Jharkhand	2
Jammu & Kashmir	3
Karnataka	41
Kerala	35
Maharashtra	103
Meghalaya	1
Madhya Pradesh	14
Mizoram	1
Odisha	9
Punjab	14
Puducherry	1
Rajasthan	15
Tamil Nadu	76
Telangana	14
Uttarakhand	5
Uttar Pradesh	36
West Bengal	7
Total	465

13. EXTENSION OF APPROVAL FOR THE ACADEMIC SESSION 2019-2020 ONWARDS:

The Council granted extension of approval or otherwise for UG and PG Courses for the academic session 2019-2020 as per details given hereunder:

- i) Institutions granted extension of approval for B.Arch. Course: 422
- ii) Institutions granted extension of approval for M.Arch.course: 79
- iii) Institutions approved for Introduction of B.Arch. Course : 15
- iv) Institutions put on 'Zero Intake for B.Arch. Course : 10
- v) Institutions put on Zero Intake for M.Arch. Course : 2

- vi) Institution put on ‘withdrawal of approval’: Nil

The Council also initiated the approval process for the academic session 2020-2021.

14. ISSUANCE OF ENROLMENT NUMBERS TO STUDENTS ADMITTED BY ARCHITECTURAL INSTITUTIONS IN B.ARCH. COURSE:

The Council is issuing enrolment numbers to students admitted by the Institutions to ensure that only eligible students are admitted as per the sanction intake of the Council. The Council is issuing enrolment numbers online based on information furnished by the institutions.

Year wise details of enrolment numbers issued by the Council for students of B.Arch. Course in the last 5-years are as under:

Academic Year	Enrolled students	No. Colleges applied for enrollment
2014	18342	346
2015	19241	395
2016	18702	396
2017	14677	382
2018	16576	390
2019	8182	225

15. NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE (NATA):

The Council is conducting National Aptitude Test in Architecture (NATA) every year as a single window examination for admission to first year of 5-year B.Arch. Couse. The NATA 2019 was conducted twice. First Test was conducted on 14th April, 2019. A total of 35748 candidates have applied for the First Test and 32856 candidates have appeared for the Test and 27232 candidates have passed in the Examination.

Further, Second NATA Test was held on 07.07.2019. 35651 Candidates have applied for the Second Test and 18126 candidates appeared for the test and 14589 candidates have passed in the Examination. The Council has also initiated the process for conduct of NATA 2020 Examination.

16. TRAINING PROGRAMME:

22 training programme, convened by Prof. Jayashree Deshpande, Director, COA-TRC, Pune, were conducted for teachers and professional architects in Pune and other cities during the last year. These programme were attended by 521 participants across the country.

The details of the programme are as follows:

1. Teacher Training Programme:

Sr. No	Details of Programme	Name of Coordinator	Dates	No. of Part.
1.	Behavioral Skills for Teachers in Architecture <i>at Council of Architecture Training & Research Centre (COA-TRC), Pune</i>	Prof. Jayashree Deshpande	24 th to 28 th June 2019	22
2.	Design Pedagogy Explorations - from Basic Design to Design Thesis <i>at School of Architecture, CSI Institute of Technology, Secunderabad, Telangana</i>	Prof. Naheema Shahnawaz	01 st to 05 th July 2019	28

3.	Context Sensitive Design Approach <i>at BMS Collage of Architecture, Bangalore, Karnataka</i>	Dr. Mamatha P. Raj	29 th July to 2 nd August 2019	26
4.	Learning to Teach and Teaching to Learn <i>at Council of Architecture Training & Research Centre (COA-TRC), Pune</i>	Prof. Jayashree Deshpande	26 th to 30 th August 2010	26
5.	Predesign to Design Concept <i>at Laxmi Institute of Architecture, Sarigam, Gujarat</i>	Ar. Naresh Shah	16 th to 20 th September 2019	11
6.	Communication Skills for Effective Teaching - Discourse <i>at Marathwada Mitra Mandals' Collge of Architecture, Pune, Maharashtra</i>	Prof. Arti Patil	23 rd to 27 th September 2019	33
7.	Urban Landscapes <i>at CTES College of Architecture, Mumbai, Maharashtra</i>	Ar. Anju Kapoor Bareja	11 th to 15 th November 2019	28
8.	Research Methods and Analytical Applications in Architecture and Urban Planning <i>at Kalasalingam University, Krishnankoil, Tamil Nadu</i>	Dr. N. Lakshmi Thilagam	18 th to 22 nd November 2019	12
9.	Integrating Effective & Innovative Methods for Technical Subjects in Architectural Curriculum <i>at DY Patil Collage of Architecture, Kolhapur, Maharashtra</i>	Prof. Madhugandha A. Mithari	02 nd to 06 th December 2019	32
10.	Architectural Theory <i>at Bharati Vidyapeeth College of Architecture, Navi Mumbai, Maharashtra</i>	Prof. Ritu G. Deshmukh	04 th to 08 th December 2019	26
11.	Education of Design Professional An Ekistics Approach <i>at VES College of Architecture, Mumbai, Maharashtra</i>	Prof. Anand Achari	09 th to 13 th December 2019	30
12.	Research in Architecture <i>at Council of Architecture Training & Research Centre (COA-TRC), Pune, Maharashtra</i>	Prof. Jayashree Deshpande	16 th to 20 th December 2019	31
13.	Integrative Approach towards Pedagogy of the Design Studio <i>at School of Architecture, MS Ramaiah Institute of Technology, Bangalore, Karnataka</i>	Prof. Pushpa Devanathan	06 th to 10 th January 2020	29
14.	Habitat: An Approach towards Community Living <i>at PVP College of Architecture, Pune, Maharashtra</i>	Prof. Prasanna Desai	20 th to 24 th January 2020	40
15.	Climatology and Architecture <i>at K. S. School of Architecture, Bangalore, Karnataka</i>	Dr. N. Jagannathan	27 th to 31 st January 2020	19
16.	Teaching Architecture - Innovative Approaches <i>at SCMS School of Architecture, Ernakulam, Kerala</i>	Ar. Kerstin Frick	27 th to 31 st January 2020	30
17.	Methodology and Exploration in Architectural Research <i>at Department of Architecture, School of</i>	Dr. Devyani Gangopadhyay	03 rd to 07 th February 2020	19

	<i>Building & Environment, Sathyabama University, Chennai, Tamil Nadu</i>			
18.	Architectural Theory: A Lateral Connect at Council of Architecture Training & Research Centre (COA-TRC), Pune, Maharashtra	Ar. Fatema Kabir	10 th to 14 th February 2020	15
19.	Design Pedagogy at Gopalan School of Architecture and Planning, Bangalore, Karnataka	Prof. Nagendra M.	17 th to 21 st February 2020	18
20.	Learning from the Masters at Council of Architecture Training & Research Centre (COA-TRC), Pune, Maharashtra	Ar. Pradnya Chauhan	24 th to 28 th February 2020	15
21.	vāstu śāstra : theory, concept and application at Council of Architecture Training & Research Centre (COA-TRC), Pune, Maharashtra	Ar. Sashikala Ananth	02 nd to 06 th March 2020	26
22.	Enhancing Design Approach in Architecture Academics at Vasantdada Patil Pratishthans's Manohar Phalke College of Architecture, Mumbai, Maharashtra	Prof. Surendra Rane	11 th to 15 th March 2020	5
				Total 521

17. AWARDS PROGRAMME :

A. National Awards for Excellence in Architectural Thesis

➤ **Undergraduate:**

The Council conducted the 14th National Awards for Excellence in Architectural Thesis Program for undergraduate thesis projects to encourage the young talent. The zonal juries were held at the following places.

Zone	Place	Coordinating College
I	Noida	Amity School of Architecture & Planning, Amity University, Noida, Uttar Pradesh
II	Lucknow	Amity School of Architecture and Planning, Amity University, Lucknow Campus, Uttar Pradesh
III	Pune	Marathwada Mitra Mandal's College of Architecture, Pune, Maharashtra
IV	Bangalore	R.V. College of Architecture (RVCA), Bangalore, Karnataka
V	Chennai	Hindustan Institute of Technology and Science, Chennai, Tamil Nadu

The members of Jury Members for Zones were:

Zone I	Ar. Trupti Doshi, Ar. G. Srinivas Murthy, Ar. Yatin Pandya
Zone II	Ar. Rekha C. Jetty, Ar. Sandhya Manjunath, Ar. Sanjyot Shah
Zone III	Ar. Sabeena Khanna, Ar. Vidyadhar S. Wodeyar, Ar. Aarti Grover

Zone IV	Ar. Jaimini Mehta, Ar. Akhtar Chauhan, Ar. Bandana Jain
Zone V	Ar. Ranjana Mital, Ar. Anuj Srivastava, Ar. Samir Mathur

The National Jury was held at D.Y. Patil School of Architecture, Navi Mumbai, Maharashtra. The members of Jury for National finals were Ar. Punita Mehta, Ar. K. Jaisim, Ar. Rajiv Mishra.

➤ **Post Graduate:**

The Council conducted the 06th National Awards for Excellence in Post Graduate Thesis in Architecture Program for postgraduate thesis projects with an objective to encourage and motivate students of masters' courses in architecture from across the country and develop a research culture amongst schools of architecture.

The National Jury was held at D.Y. Patil School of Architecture, Navi Mumbai, Maharashtra on 24th January, 2020. The members of Jury for National finals were Ar. Utpal Sharma, Ar. B. S. Bhooshan, Ar. Partharanjan Das.

B. Students' Awards for Excellence in Documentation of Architectural Heritage :

The Council conducted the 02nd Students' Awards for Excellence in Documentation of Architectural Heritage for the undergraduate documentation projects with an objective to encourage interest and talent of students for understanding, documentation of heritage buildings and to develop & promote sensitivity and awareness towards India's architectural heritage amongst students of architecture across the country. The zonal juries were held at the following places.

Zone	Place	Coordinating College
I	Noida	Amity School of Architecture & Planning, Amity University, Noida, Uttar Pradesh
II	Lucknow	Amity School of Architecture and Planning, Amity University, Lucknow Campus, Uttar Pradesh
III	Pune	Marathwada Mitra Mandal's College of Architecture, Pune, Maharashtra
IV	Bangalore	R.V. College of Architecture (RVCA), Bangalore, Karnataka
V	Chennai	Hindustan Institute of Technology and Science, Chennai, Tamil Nadu

The members of Jury for Zones were:

Zone I	Ar. Minakshi Jain, Ar. Surinder Bahga
Zone II	Ar. Kavita Jain, Ar. G. Shankar Narayan
Zone III	Ar. Deval Kumar Rajwanshi, Ar. Aishwarya Tipnis
Zone IV	Ar. Ravindra Vasavada, Ar. Vikas Dilawari
Zone V	Ar. Shalini Dasgupta, Ar. Nidhi Dandona

The National Jury was held at D.Y. Patil School of Architecture, Navi Mumbai, Maharashtra on 24th January, 2020. The members of Jury for National finals were Ar. K.B. Jain, Ar. Smita Khan.

C. COA GRIHA's National Awards for Excellence in Architectural Thesis on the Subject of Sustainable Architecture Design:

The Council and GRIHA Council (Co-promoter) conducted the 01st Awards For Excellence in Architectural Thesis on the Subject of Sustainable Architecture Design for the undergraduate and post graduate projects with an objective to spread awareness about sustainability in design among the future architects of the country.

The National Jury was held at D.Y. Patil School of Architecture, Navi Mumbai, Maharashtra, Maharashtra on 24th January, 2020. The members of Jury for National finals were Ar. Roshni Udyawar, Ar. Shekhar Bagool, Ar. Shaily Mahera.

The awards distribution ceremony of the under graduate, post graduate, documentation project and Sustainable Architecture Design was held at D.Y. Patil School of Architecture, Navi Mumbai, Maharashtra.

18. PROFESSIONAL OUTREACH PROGRAMME:

For spreading awareness about architecture, Architects Act, 1972, Rules & Regulations, and to address the concerns of architects, the Council conducted professional outreach programme at Chandigarh on 23.12.2019, Chennai on 11.01.2020 and Bangalore on 21.02.2020.

19. SELECTION OF ARCHITECTS BY GOVT. DEPARTMENT/UNDERTAKINGS:

The Council wrote to several public authorities to appoint architects as per Council of Architecture Competition Guidelines and on payment of fees as prescribed by the Council.

The President, COA, met Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, for considering adoption of the scale of charges prescribed by the Council by the Government and also amending the Government of India Manual on Procedure for appointment of Consultants.

20. ENFORCEMENT OF THE ARCHITECTS ACT, 1972:

Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972 impose prohibition on misrepresentation as an Architect and use of title and style of Architects by any person other than a registered Architect. The violation of Act is a punishable offence. The Council has been issuing notices to the violators to stop violations of the Act.

21. SETTING UP OF COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND TRUST DULY REGISTERED WITH CONCERNED AUTHORITIES:

The Council of Architecture considered the Council of Architecture Employees Contributory Provident Fund Trust Deed and Rules as approved by the Executive Committee and ratified the same.

22. PUBLICATIONS:

The Council is printing and publishing its magazine Architecture “Time space and People” with assistance of Lifestyle Media, New Delhi. The publication has been stopped for the time being for want of a Printer & Publisher for the magazine.

The process for publication of Directory of Architects 2019 and Handbook of Professional Documents 2019 has been initiated.

The Council has also published/ and or printed books for promotion of architectural of Architectural education. The details of publication/ printing of books are as under :

A. The following books have been distributed to the colleges of architecture in India :

- Archiving Architectural Thesis 2015
- Journal of Council of Architecture: Housing
- Archiving Architectural Thesis 2016

- Archiving Architectural Thesis 2017
- B. The following book is in printing process and will be distributed at an early date:
 - Journal of Council of Architecture: Sustainable Development
- C. The following books are ready and will be printed and published shortly:
 - Journal of Council of Architecture: Heritage and Conservation
 - Archiving Architectural Thesis 2011
- D. 01st Stage of proof reading of following book has been done and corrections/suggestions are sent to the college in charge of compiling the book.
 - Archiving Architectural Thesis 2018
- E. The following books are in designing process:
 - Book on Student's Awards for Documentation of Architectural Heritage 2018
- F. Work on the 1st stage of review of the following journal is in process.
 - Journal of Council of Architecture (JCOA) - Inclusive environments

23. ACKNOWLEDGEMENT:

The Council would like to place on record the its appreciation and gratitude to the Central Government and its Officers, all State Governments, Union Territories, all Architectural Institutions for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council of architecture, Experts, Auditors, Advocates, other professional bodies, practicing architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council also expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2019-20.

Dated : 12.10.2020

R. K. OBEROI, Registrar
[ADVT.-III/4/Exty./520/2020-21]

V. K. VERMA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

C-37, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001

TEL. : 23415811,23416858,23415778,23411014

FAX : 91 -11 -2341 7925

E-mail : vkverma@vkvermaco.com, pverma@vkvermaco.com

Website : www.vkvermaco.com

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of “COUNCIL OF ARCHITECTURE”, India Habitat Centre, Core 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi – 110003, as at 31st March, 2020, the Income & Expenditure Account and the Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March, 2020, incorporating the accounts of all the Council Offices. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with the generally accepted Auditing & Accounting Standards, notified till date issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls given to the preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient & appropriate to provide a basis for our audit opinion subject to Note No. 1 to 18 of Annexure No. 14 – Significant Accounting Policies & Notes forming part of Accounts.

We further report that:

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;
2. In our opinion, proper books of accounts as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;
3. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:-
 - a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2020 and
 - b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for the year ended 31st March, 2020.
 - c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and payments flows for the year ended 31st March, 2020.

**For V K VERMA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 0000386N**

Partner
(R.C.Hasija)
M. NO. 054809 , Udin: 20054809AAAACJ7041
Date : 12/10/2020, Place: New Delhi

COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)

(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)**INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2020****(Amount – Rs.)**

	Schedule	Current Year	Previous Year
<u>INCOME</u>			
Fees	8	38105424.00	37379639.00
Other Income	9	155863428.79	128995857.46
Interest Earned	10	61654252.75	36581938.12
TOTAL (A)		25,56,23,105.54	20,29,57,434.58
<u>EXPENDITURE</u>			
Establishment Expenses	11	18967814.00	19655771.00
Administrative Expenses	12	12979503.15	13147850.52
Expenses related to Promotion of Education & Practice	13	905740.00	1340839.00
Depreciation	4	1048977.00	1165461.00
TOTAL (B)		33902034.15	35309921.52
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) Transferred to Surplus and Deficit Account		221721071.39 221721071.39	167647513.06 167647513.06
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of

COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date

For V. K. VERMA & CO.Chartered Accountants
FRN :000386N

(REGISTRAR)

(PRESIDENT)

(CA R.C. HASIJA)
M.N.054809

Place : New Delhi

Date : 12.10.2020

COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)
(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020(Amount –
Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
<u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>			
CAPITAL CONTRIBUTION FROM GOVT.OF INDIA	1	150000.00	150000.00
EARMARKED FUNDS	2	733467395.00	724985298.00
LIABILITIES	3	319864113.00	298550995.00
SURPLUS / DEFICIT ACCOUNT	7	366665713.73	127324213.34
TOTAL		1420147221.73	1151010506.34
<u>ASSETS</u>			
FIXED ASSETS	4	216200757.00	10200053.00
INVESTMENTS	5	966905204.00	692157245.00
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	6	237041260.73	448653208.34
TOTAL		1420147221.73	1151010506.34
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of

COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date

For V. K. VERMA & CO.

Chartered Accountants

FRN :000386N

(REGISTRAR)

(PRESIDENT)

(CA R.C. HASIJA)

M.N.054809

Place : New Delhi

Date : 12.10.2020

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2020

Amount(Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance			I. Expenses		
a) Cash in hand	17,408.00	22,093.00	a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 11)	1,89,67,814.00	1,96,55,771.00
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 12)	1,29,79,503.15	1,31,47,850.52
1) In Current/OD accounts	18,038.51	20,52,773.51	c) Expenses related to Promotion of Education & Practice (corresponding to Schedule 13)	9,05,740.00	13,40,839.00
2) Savings Accounts	2,63,18,857.83	4,25,02,920.38			
3) Drafts at Hand	5,29,340.00	12,20,446.00			
II. Funds Received			II. Payments made against funds for various Projects		
a) Evaluation Fees	7,17,50,000.00	6,94,50,000.00	a) NATA Expenses	3,25,42,820.21	2,92,90,386.00
b) Charges for Review of Decision	38,50,000.00	1,08,00,000.00	b) Evaluation & Inspection Expenses	2,59,77,382.00	2,56,42,174.00
c) Fine/ Penalty from Intuitions	6,80,000.00	15,80,000.00	c) Arbitration Expenses	82,333.00	1,14,667.00
d) Charges for Change/Closure of Name/Site of Institution	30,00,000.00	25,00,000.00	e) Directory of Architect Exps.	0.00	0.00
e) Arbitration Fee	1,68,500.00	1,06,000.00	d) Publication Expenses	36,85,903.00	2,46,346.00
			f) BEE Program Expenses	12,46,513.00	19,57,485.00
III. Interest Received			g) Conduct of Quality Improvement Programme Expenses	54,96,676.00	70,30,367.00
a) On Bank deposits	5,77,60,176.75	3,28,01,188.12			
b) Loans, Advances etc.	11,80,891.00	12,39,865.00	III. Investments and deposits made		
c) On Savings Bank Account	27,13,185.00	25,40,885.00	a) Out of Earmarked/Endowment funds	55,90,48,166.00	34,83,00,207.00
			b) Out of Security Deposit Received	3,55,00,000.00	12,15,00,000.00

IV. Fee Income			from Architectural Institution		
a) Registration Fee	76,39,200.00	91,40,400.00	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
b) Renewal Fee	72,57,100.00	56,54,100.00	a) Purchase of Fixed Assets	20,70,84,780.00	15,87,704.00
c) Restoration Fee	38,82,000.00	31,73,000.00			
d) Duplicate Certificate Fee	2,80,800.00	3,37,200.00			
e) Fine from Architects	1,03,95,250.00	1,12,93,290.00	V. Other Payments		
f) Apportionment of One Time Renewal Fees	86,50,474.00	77,81,649.00	a) TDS deducted by the Bank/Companies	59,85,286.00	34,27,497.00
g) Additional Qualification Fee	600.00	0.00	b) Advances to Staff	10,00,000.00	13,83,000.00
V. Other Income			c) Other Advances	8,14,257.00	29,86,112.00
a) Income from Publications	37,58,683.00	2,70,375.00	d) Apportionment of One Time Renewal Fees	86,50,474.00	77,81,649.00
b) RTI Fees	820.00	700.00	e) NATA Fee Advance	10,10,71,000.00	8,50,75,500.00
c) NATA Fees	12,62,32,600.00	9,29,06,000.00	f) Evaluation Fees Advance	7,12,50,000.00	6,93,00,000.00
d) NATA Data Sharing Charges	29,00,000.00	0.00	g) Amount receivable / Payable	4,86,738.50	4,90,579.00
e) Misc. Income	60,949.00	8,305.46	h) Bank Interest Accrued for the Year	28,61,534.67	37,65,867.06
f) Conduct of Quality Improvement Programme Charges	93,85,000.00	1,35,83,750.00	i) Interest Accrued on Staff Advance	11,80,891.00	12,39,865.00
g) Thesis Award Programme - Sponsorship	15,23,300.00	0.00	j) Prepaid Expenses for NATA Examination	6,60,751.00	33,51,205.55
VI. Other Receipts			VII. Closing Balance		
a) One Time Renewal Fee	3,47,53,000.00	3,21,31,000.00	a) Cash in hand	14,500.00	17,408.00
b) FDR's Matured during the Year	31,98,00,207.00	13,12,34,602.00	b) Bank Balances		
c) Advances Recovered from Staff	24,08,335.00	22,88,071.00	1) In Current/OD accounts	19,43,919.51	18,038.51
d) Other Advances Recovered	35,18,05,222.55	18,10,031.00			

e) Interest adjusted agst. Interest Accrued	36,44,607.06	28,49,025.00	2) Savings Accounts	15,70,13,234.66	2,63,18,857.83
f) Taxes/ Amount/Postage payable	20,68,900.00	4,00,046.00	3) Drafts at Hand	19,96,635.00	5,29,340.00
g) NATA Fees Advance	8,84,55,800.00	10,10,71,000.00			
h) DOA/HB-2020 Advt. Advance	31,32,390.00	0.00			
i) Evaluation Fees Advance	6,53,00,000.00	7,12,50,000.00			
k) Performance Security	12,86,526.00	0.00			
l) Security deposits from Existing Architectural Institutions	5,00,000.00	7,15,00,000.00			
m) Security deposits from New Architectural Institutions	3,50,00,000.00	5,00,00,000.00			
n) BEE Sponsorship/Administrative Charges	3,38,691.00	0.00			
TOTAL	1,25,84,46,851.70	77,54,98,715.47	TOTAL	1,25,84,46,851.70	77,54,98,715.47

Place : New Delhi

for and on behalf of

COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date

For V. K. VERMA & CO.

Chartered Accountants (FRN :000386N)

Date : 12.10.2020

(REGISTRAR)

(PRESIDENT)

(CA R.C. HASIJA) M.N.054809